

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक

श्री नरसाराम

पुत्र श्री हीराराम

जाति जाट

नि ललाणारवुर्द

मुकदमा नं. 06 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 23/08/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम ललाणारवुर्द खसरा नम्बर 211
रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म गै. मू. बाला (राजकीय भूमि) पर संवत् 2074 में श्री नरसाराम
पुत्र श्री हीराराम जाति जाट निवासी ललाणारवुर्द (जिसे
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा तारबन्दी कर मुंग बोयाजा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अप्रार्थी

अनुपस्थित/अप्रार्थी की तरफ से कोई जबाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम ललाणारवुर्द
ख.न. 211 रकबा 0.2000 किस्म गै. मू. बाला पर संवत् 2074 में बिना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर तारबन्दी कर मुंग बोयाजा कर अतिक्रमण किये
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति है. का 50 गुणा रूपया 5.00 रु.
(रूपये पाँच रुपये) शास्ति
कायम की जाती है। फसल जिलामी-स्त्री कृति रामदेव अ० बाबुराम जाट सा० ललाणारवुर्द
रुपये 210/-

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का चित्तौड़ निर्णय की
भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट
एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/08/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)